278

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय{सीपीसी} की बैठक सं0 49/2000 दिनांक 27-5-2000 को सांय 4·00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण -

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया -

1- श्री ए·के·गुप्ता, निदेशक{आयोजना}जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री एस·एल· माथुर, निदेशक{अभियांत्रिकी} जविप्रा, जयपुर ।
3- श्री पी·आर· शर्मा, निदेशक{वित्त} जविप्रा, जयपुर ।
4- श्री ए·एन· भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक{सीपी} जविप्रा, जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे -

1- श्री पी·अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक{एम·पी}जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री पी·एस· राठौड़, उपायुक्त, जोन ए-1, जविप्रा, जयपुर ।
3- श्री ललित कुमार शर्मा, प्राधिकृत अधिकारी, जोन बी-3, जविप्रा, जयपुर ।
4- श्री हरिप्रसाद शर्मा, सहायक नगर नियोजक, बी-3, जविप्रा, जयपुर ।
5- श्री मुकेश मित्तल, सहायक नगर नियोजक{सीपी} जविप्रा, जयपुर ।
6- श्री अनन्त देव टांक, सहायक नगर नियोजक, ए-1, जविप्रा, जयपुर ।
7- श्री अनिल गुप्ता, उपायुक्त, जोन बी-2, जविप्रा, जयपुर।

{1} बीपीसी-II{सीपीसी} की बैठक सं0 46/2000 दिनांक 20-5-2000 के कार्यवाही विवरण की पुष्टिकरण हेतु :-

समिति द्वारा पुष्टि की गयी ।

{2} बीपीसी-II{सीपीसी} की बैठक सं0 47/2000 दिनांक 22-5-2000 के कार्यवाही विवरण की पुष्टिकरण हेतु :-

समिति द्वारा पुष्टि की गयी ।

{3} बीपीसी-II{सीपीसी} की बैठक सं0 48/2000 दिनांक 24-5-2000 के कार्यवाही विवरण की पुष्टिकरण हेतु :-

समिति द्वारा पुष्टि की गयी ।

{4} विभिन्न उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये :-

4·1- एजेण्डा सं0 49/2000-1 :- नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना संजय नगर-ए {जोन बी-3} :-

...2

प्राधिकृत अधिकारी, जोन बी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार कर योजना के भूखण्ड सं0 75 से 78 एवं 107 से 110 को मौके की स्थिति के अनुसार अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया ।

4·2- एजेण्डा सं0 49/2000- 2 :- ग्राम -सुदर्शनपुरा, तहसील- जयपुर के खसरा नंबर 142 मिन रकबा 2378 वर्ग गज भूमि के रूपान्तरण के संबंध में :-

उपायुक्त, जोन ए-1 द्वारा पत्रावली प्रस्तुत की गयी । बाद विचार-विमर्श प्रस्तावित सब डिवीजन अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया । इस भूमि का लैण्ड यूज मास्टर प्लान में व्यावसायिक (होलसेल बिजनिस, वेयर हाऊसिंग एण्ड गोदाउन) होने के कारण यथावत रखा जाये और प्रार्थीगण सहमत हो तो आवासीय की बजाय सीधे व्यावसायिक रूपान्तरण की कार्यवाही की जाये ।

4·3- एजेण्डा सं0 49/2000- 3 :- न्यूपिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना बरकत नगर एवं राजहंस गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना लवकुश नगर- I II (जोन बी-2) :-

वरिष्ठ नगर नियोजक(एम·पी·) द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा, सर्वे नक्शा एवं उपायुक्त, बी-2 द्वारा बतायी गयी मौके की स्थिति पर विचार विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

1- सवाई माधोपुर रेल्वे लाईन की पूर्व दिशा में गंदे नाले क्रोसिंग से लेकर गोपालपुरा रेल्वे क्रोसिंग तक निर्मित भवनों का सर्वे करवाया गया । सर्वे को देखने से यह स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रस्तावित 100 फिट सड़क का निर्माण इस क्षेत्र में भवनों के निर्माण को देखते हुए किया जाना सम्भव नहीं है । वरिष्ठ नगर नियोजक(एम·पी·) के द्वारा यह भी बताया गया कि रेल्वे ने सवाई माधोपुर की वर्तमान में स्थित रेल्वे लाईन की पूर्व दिशा में एक और दोहरे ट्रेक बनाने के प्रस्ताव भेजे है । जिसके बनाने हेतु उनको वर्तमान ट्रेक से 23 मीटर(75 फिट) की दूरी तक की भूमि की आवश्यकता होगी । मौके पर निर्माणों की स्थिति को देखते हुए एवं रेल्वे के द्वारा दोहरे ट्रेक बनाने के प्रस्ताव को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में प्रस्तावित 100 फिट की सड़क इस क्षेत्र में नहीं बनायी जाये ।

...3

281

2- लवकुश नगर और बरकत नगर में सवाई माधोपुर रेल्वे लाईन के सेंटर से 75 फिट को छोड़ते हुए उन भूखण्डों का नियमन कर दिया जाये जिनके लिए 75 फिट के बाद प्रवेश मार्ग उपलब्ध है और निर्मित क्षेत्र मिलता है । 75 फिट पर जिन भूखण्डों की पीठ/सीमा आए उनके साइट प्लान में भूखण्ड के पश्चिम की भूमि "जविप्रा का खुला क्षेत्र" दर्शाई जाए ।

3- ऐसे भूखण्ड जो पश्चिम मुखी है उनके प्रवेश के लिए सड़क उपलब्ध करवाने की दृष्टि से 75 फिट के बाद 25 फिट की सड़क का प्रावधान करते हुए नियमन किया जाये ।

4- प्रत्येक भूखण्ड के सैट बैक दिये हुए नहीं है । अतः वर्तमान नियमों के अनुसार सैट बैक लिखकर साईट प्लान जारी कर दिया जाये ।

योजना का आवासीय क्षेत्र जो पूर्व में सवाई माधोपुर रेल्वे लाईन के समानान्तर प्रस्तावित 100 फिट चौड़ी सड़क के अन्दर आने के कारण स्वीकृत नहीं किया गया था, इस क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र अब पूर्ण रूप से निर्मित होने के कारण राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः प-5(3)नविवि/3/99 दिनांक 10-7-99 में प्रदान की गई शिथिलता के अनुसरण में इस बढ़े हुए आवासीय क्षेत्र के भाग को उपरोक्तानुसार अनुमोदित किया गया ।

4.4- एजेण्डा सं0 49/2000- 4 :- लक्ष्मीनारायणपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विजय नगर भूखण्ड संख्या 31 का उप विभाजन के संबंध में (जोन ए-1) :-

उपायुक्त ए-1 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श कर भूखण्ड संख्या 31 का भू उप विभाजन भूखण्ड सं0 31 व 31 ए में स्वीकृत किया गया ।
बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई ।

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(सीपीसी)
जविप्रा, जयपुर ।

क्रमांकः एफ-11(14)जविप्रा/वनि/सीपी/49/2000/डी- 251
दिनांक : 29.5.2000

प्रतिलिपिः-

1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर ।
2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
3- निदेशक(आयोजना)/(विधि)/(वित्त)/(अभियांत्रिकी)जविप्रा, जयपुर ।
4- वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा, जयपुर ।
5- उपायुक्त/प्राधिकृत अधिकारी/सहायक नगर नियोजक, जोन ए-1, बी-2 एवं बी-3 जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
बीपीसी-11(सीपीसी)